संख्या-22/2020 / 08/71-1-2020-जी-227/2017

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 25 फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु मानक मद-41-भोजन पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/543, दिनाँक 03-01-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मानक मद-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथ अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-01-राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज-01-वेतन में रू0 12.00 की बचत को राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद-41-भोजन पर व्यय में रू0 7.00 लाख एवं राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु मानक मद-41-भोजन पर व्यय में रू0 5.00 लाख कुल रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा।

6- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए किया जायेगा। इसका उपयोग तीमारदारों के लिए नहीं किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथ अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-01-राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज-41-भोजन पर व्यय-05-राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर-41-भोजन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-137/दस-2020, दिनाँक 12 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-22/2020/ 08(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज तथा अम्बेडकर नगर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज तथा अम्बेडकर नगर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज तथा अम्बेडकर नगर।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।